

# राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नं. 0141-2228088, फैक्स नं. 0141-2228085  
CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल: rmisc.supply2@gmail.com  
Website: www.rmisc.health.rajasthan.gov.in


क्रमांक : एफ.04( ) / आरएमएससी / विशेषाधिकारी / 2022 8/6 दिनांक : 8/6/2022

## कार्यालय आदेश

M/s Pro Laboratories Pvt. Ltd, 140-141, Makkanpur Bhagwanpur, Roorkee, Dist Haridwar को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(268)/RMSC/PROCUREMENT /DRUG/NIB-10/2019/834 दिनांक 09.07.2019 के तहत औषधि Diclofenac Sodium and Paracetamol Tablets Diclofenac Sodium 50 mg + Paracetamol 325 mg[483] के क्रयादेश क्रमांक 3478 दिनांक 22.12.2021 के द्वारा 13620000 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 1720 दिनांक 21.09.2021 के द्वारा 23520000 मात्रा तथा औषधि Aceclofenac and Paracetamol Tablets Aceclofenac 100mg and Paracetamol 325mg (code no. 492) के क्रयादेश क्रमांक 3564 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा 4380000 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 2363 दिनांक 18.10.2021 के द्वारा 6693700 मात्रा 60 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधियों के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं करने पर पत्रांक 116 दिनांक 13.04.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से दो क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधियों की कोई मात्रा आपूर्ति नहीं की गई है, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 26.04.2022 (प्राप्ति पत्र दिनांक 30.05.2022) की अनुशंसा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(15) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Pro Laboratories Pvt. Ltd, 140-141, Makkanpur Bhagwanpur, Roorkee, Dist Haridwar को औषधि Diclofenac Sodium and Paracetamol Tablets Diclofenac Sodium 50 mg + Paracetamol 325 mg[483] एवं Aceclofenac and Paracetamol Tablets Aceclofenac 100mg and Paracetamol 325mg (code no. 492) हेतु यह आदेश जारी करने की दिनांक से एक वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

  
(अनुक्रम जोरवाल)

आई.ए.एस.  
प्रबन्ध निदेशक



क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2022 8/6

दिनांक : 8/6/2022

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/उत्तराखण्ड।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s Pro Laboratories Pvt. Ltd, 140-141, Makkanpur Bhagwanpur, Roorkee, Dist Haridwar
13. गार्ड फाईल।

विशेषाधिकारी  
आर.एम.एस.सी.